रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072024-255749
CG-DL-E-25072024-255749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2024/श्रावण 3, 1946
No. 556] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2024/SHRAVANA 3, 1946

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2024

उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2024

(2024 का 5)

संख्या आरजी-10/2/(1)/2023 [ई-10742].—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण **उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण विनियम**, 2013 (2013 का 1) में संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों को **उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2024** कहा जाएगा।

(2) ये इनके आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण (संशोधन) विनियम, 2013** (2013 का 1) (जिसे इसमें इसके बाद "मूल विनियम" कहा जाएगा) के विनियम 4 में,

(क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) विनियम 5 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला उपभोक्ता संगठन प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के लिए पात्र होगा।";

(ख) उप-विनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम (2) अंतःस्थापित किया जाएगा,

"(2) कोई उपभोक्ता संगठन एक या अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किया जा सकेगा और एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकरण कराने का इच्छुक उपभोक्ता संगठन भिन्न-भिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पृथक पंजीकरण प्रपत्र प्रस्तुत करेगा।"

(ग) विद्यमान उप-विनियम (2) को उप-विनियम (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

3. मूल विनियमों के विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5. उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड—

(1) कोई उपभोक्ता संगठन प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के लिए पात्र होगा यदि वह -

(क) उपभोक्ता शिक्षा और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में शामिल है;

(ख) एक गैर-लाभकारी और गैर-राजनीतिक संगठन है;

(ग) उपभोक्ता संगठन के रूप में पंजीकरण के बाद, प्राधिकरण में आवेदन की तिथि पर, निम्न में, न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो -

(i) सेवाओं में कमी के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों से निपटना और उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करना; और

(ii) उपभोक्ताओं के हितों की वकालत करना; और

(घ) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राधिकरण के साथ बातचीत करने में सक्षम।

(2) वरीयता उन उपभोक्ता संगठनों को दी जाएगी जो उपभोक्ता मुद्दों पर तथा दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण से संबंधित मामलों पर अनुसंधान, अध्ययन या सर्वेक्षण करने में लगे हुए हैं।

4. मूल विनियमों के विनियम 6 में, खंड (iii) में, "एक शपथ-पत्र" शब्दों से पहले, "इन विनियमों के अनुलग्नक-II में दिए गए प्रारूप में" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

5. मूल विनियमों के साथ संलग्न पंजीकरण प्रपत्र के स्थान पर, पंजीकरण प्रपत्र युक्त निम्नलिखित अनुलग्नक-I प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" अनुलग्नक - I

पंजीकरण प्रपत्र

(विनियमन 4 देखें)

उपभोक्ता संगठन के पंजीकरण के लिए आवेदन

1. उपभोक्ता संगठन का नाम और पता: ____

____

2. फैक्स और टेलीफोन नंबर: ____

3. ईमेल आईडी: ____________________

4. वेबसाइट: ____________________

5. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है; ____________________

6. उपभोक्ता संगठन का पंजीकरण संख्या: ____________________

7. पंजीकरण की तिथि: ____________________

8. पंजीकरण की वैधता: ____________________

9. राज्य जिसमें उपभोक्ता संगठन पंजीकृत है: _ ____________________

10. पंजीकरण प्राधिकारी का विवरण/पदनाम: ____________________

11. अधिनियम का नाम जिसके तहत पंजीकृत है: ____________________

(**नोट**: उपभोक्ता संगठन के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक सुपाठ्य प्रति संलग्न करें जो राजपत्रित प्राधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित हो।)

12. इसके संविधान/संस्था के ज्ञापन के अनुसार उपभोक्ता संगठन की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य

____

____

____

(**नोट**:संस्था ज्ञापन और उपनियमों की सुपाठ्य प्रति संलग्न करें, जो राजपत्रित प्राधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित हो।)

13. क्या उपभोक्ता संगठन एक गैर-लाभकारी और गैर-राजनीतिक संगठन है? ____________________

(**नोट**: अनुलग्नक- II में दिए गए प्रारूप में एक शपथ पत्र संलग्न करें, जिसे नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो कि संगठन गैर-लाभकारी और गैर-राजनीतिक संगठन है।)

14. पिछली वार्षिक आम बैठक और कार्यकारी समिति के अंतिम चुनाव की तिथि: ____________________

____

(**नोट:** संस्था के बहिर्नियम और उपनियमों के अनुसार नियुक्त पदाधिकारियों की सूची, उनके नाम, पदनाम, पता, पेशे, उपभोक्ता संगठन में पद धारण करने की तिथि और कार्यालय की अवधि के साथ संलग्न करें।)

15. कृपया पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की कुल आय अलग-अलग दर्शाएं:

____

(**नोट**: वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा विवरण तथा पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान निधियों के स्रोतों को दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां, जो आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत् प्रमाणित हों, संलग्न करें।)

16. क्या उपभोक्ता संगठन पहले प्राधिकरण के साथ पंजीकृत था? यदि हाँ, तो पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तिथि बताएँ।: ____________________

____

17. क्या संगठन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राधिकरण के साथ बातचीत करने में सक्षम है? (कृपया इस संबंध में विवरण दें।): ____________________

____

18. पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई संगठनात्मक गतिविधियाँ। कृपया आप पर लागू होने वाली मदों पर निशान लगाएँ:

(क) उपभोक्ता शिक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा **हाँ/नहीं**

(ख) उपभोक्ता शिकायतों से निपटना और सेवाओं में कमी के संबंध में उपभोक्ता शिकायत का निवारण करना **हाँ/नहीं**

(ग) उपभोक्ताओं के हितों की वकालत करना **हाँ/नहीं**

(घ) उपभोक्ता मुद्दों पर अनुसंधान/सर्वेक्षण/अध्ययन किया गया **हाँ/नहीं**

(ड.) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर किया गया अध्ययन और अनुसंधान **हाँ/नहीं**

(च) दूरसंचार उपभोक्ताओं से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन। **हाँ/नहीं**

(**नोट**: संगठन द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण अलग-अलग शीट पर प्रस्तुत करें। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें, जिसमें समाचार पत्र रिपोर्ट, फोटोग्राफ और प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए किए गए अनुशंधान या सर्वेक्षण की रिपोर्ट शामिल हो सकती है।)

19. क्या क्रम संख्या 11, 12, 13, 14, 15 और 18 में उल्लिखित मदों के के लिए दस्तावेज संलग्न हैं? ____________________

(**नोट:** यदि क्रम संख्या 11, 12, 13, 14, 15 और 18 में उल्लिखित दस्तावेजों की मूल प्रति अंग्रेजी या हिंदी में नहीं है, तो अंग्रेजी में ऐसे दस्तावेजों की अनुवादित प्रतियां एक हलफनामे के साथ प्रस्तुत की जाएंगी जिसमें पुष्टि की जाएगी कि अनुवादित संस्करण मूल दस्तावेज की सच्ची प्रति है और ऐसे हलफनामे को नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।)

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूं कि यदि किसी भी स्तर पर ऊपर दी गई जानकारी गलत या झूठ पाई जाती है या मैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता हूं, तो मेरा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, या पंजीकरण, यदि मंजूर हो गया है , रद्द कर दिया जाएगा। मैं अपने आवेदन/पंजीकरण पर प्राधिकरण के निर्णय का पालन करूंगा। मैंने उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण विनियम, 2013 (2013 का 1) के प्रावधानों और प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों, निर्देशों आदि को पढ़ और समझ लिया है।

उपभोक्ता संगठन के प्राधिकृत पदाधिकारी
के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर

दिनांक: ____________ नाम: ____________

स्थान: ____________ पदनाम: ____________"

6. मूल विनियमों के अनुलग्नक-I के बाद, निम्नलिखित अनुलग्नक-II को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनुलग्नक- II

गैर-लाभकारी और गैर-राजनीतिक संगठन का शपथ पत्र

मैं, ... पुत्र/पुत्री ...., वर्तमान में ....(उपभोक्ता संगठन का नाम) जिसका कार्यालय .... (संगठन का पता) में ....(पदनाम) के रूप में कार्यरत हूं, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और निम्नानुसार बताता हूं:

1. कि मैं उपभोक्ता संगठन का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रमुख हूं।
2. आवेदक उपभोक्ता संगठन .... (उपभोक्ता संगठन का नाम) एक गैर-लाभकारी और गैर-राजनीतिक संगठन है। आवेदक संगठन या उसके सदस्यों का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है।
3. उपभोक्ता संगठन के सदस्य या पदाधिकारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा बनाए गए उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण विनियम, 2013 (2013 का 1) (जिसे इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी उपभोक्ता गतिविधियों को अंजाम देते समय या विनियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा आवेदक संगठन को सौंपी गई किसी भी अन्य गतिविधियों को अंजाम देते समय प्रचार नहीं करेंगे, कोई नारे नहीं लगाएंगे, किसी राजनीतिक दल के झंडे नहीं दिखाएंगे।
4. मैं इस तथ्य को समझता हूं और जानता हूं कि मेरे द्वारा यहां दिए गए वचन का पालन करने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप प्राधिकरण के साथ उपभोक्ता संगठन के रूप में पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

शपथकर्ता

सत्यापन

_______(स्थान) में आज दिनांक __माह ..... 202_ को सत्यापित किया गया कि उपरोक्त शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसका कोई भी भाग झूठा नहीं है और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता"

अतुल कुमार चौधरी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./325/2024-25]

नोट 1---- मूल विनियमन अधिसूचना संख्या 321-49/2012-सीए एवं क्यूओएस द्वारा प्रकाशित किए गए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 दिनांक 21 फरवरी, 2013 में प्रकाशित किए गए।

नोट 2---- व्याख्यात्मक ज्ञापन उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण (संशोधन) विनियमन, 2024 (2024 का 5) के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 21 फरवरी 2013 को उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण विनियम, 2013 (2013 का 1) [जिसे आगे "मूल विनियम" कहा जाएगा] अधिसूचित किया।

2. वर्तमान में, प्राधिकरण मूल विनियमों के अंतर्गत राज्यवार उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत कर रहा है, जो विनियमों में उल्लिखित भूमिकाओं का पालन करके प्राधिकरण की सहायता कर सकते हैं।

3. उपभोक्ता संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों सहित समाज के विभिन्न वर्गों में उपभोक्ता संरक्षण उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक भूमिका निभा सकते हैं।

4. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो में मौजूद उपभोक्ता संगठनों के विभिन्न खंडों के संपर्क और विविध समझ का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, प्राधिकरण ने राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण शुरू करके मूल विनियमों के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने की आवश्यकता महसूस की। हितधारकों की टिप्पणियों के लिए दिनांक 14 सितंबर 2023 को मसौदा संशोधन विनियम जारी किए गए। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है।

5. कुछ हितधारकों ने मसौदा संशोधनों का विरोध किया, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि संशोधनों से कुछ संगठनों को ही लाभ होगा और स्थानीय उपभोक्ता संगठन अधिक प्रभावी होंगे। कुछ उपभोक्ता संगठनों ने टिप्पणी की कि उपभोक्ता संगठनों के लिए अधिकार क्षेत्र संबंधी मानदंड निर्धारित करना अनुचित है और इससे विभिन्न स्थितियों में भ्रम और टकराव पैदा हो सकता है। इन टिप्पणियों के मद्देनजर, प्राधिकरण ने "राष्ट्रीय स्तर" शब्दों को "एकाधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र" से बदलने का फैसला किया, ताकि मौजूदा पंजीकृत संगठन बिना छोटा महसूस किए काम करना जारी रख सकें।

6. कुछ संगठनों ने सुझाव दिया कि पंजीकरण की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। तदनुसार, पंजीकरण के लिए प्रारूप को अनुलग्नक-I के रूप में सरल बनाया गया है। भादूविप्रा उपभोक्ता संगठनों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया में भी है। एक हितधारक ने महसूस किया कि गैर-राजनीतिक संगठनों के लिए पूर्वनिर्धारित मानदंड स्थापित करने से विवाद कम हो जाएंगे। इस संबंध में, प्राधिकरण ने पाया कि वर्तमान में उपभोक्ता संगठन बिना किसी मानक प्रारूप के शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। एक पूर्वनिर्धारित प्रारूप से सभी उपभोक्ता संगठन जो प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, प्राधिकरण को एक समान शपथ-पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। तदनुसार, गैर-राजनीतिक/गैर-लाभकारी संगठन के रूप में घोषणा पर शपथ-पत्र के लिए प्रारूप भी पेश किया गया है।

7. एक हितधारक ने सुझाव दिया कि सभी शर्तों का समान रूप से अनुपालन करने की कठोरता से बचने के लिए वर्तमान पात्रता शर्तों की समीक्षा की जा सकती है। इस संबंध में यह देखा गया है कि सभी शर्तें सभी आवेदक उपभोक्ता संगठनों द्वारा अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती हैं और कुछ शर्तों को वांछनीय शर्तों के रूप में रखा जा सकता है। तदनुसार, पात्रता शर्तों को संशोधित किया गया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2024

REGISTRATION OF CONSUMER ORGANISATIONS (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

(5 of 2024)

No. RG-10/2/(1)/2023 [E-10742].—In exercise of the powers conferred upon it under section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Registration of Consumer Organisations Regulations, 2013 (1 of 2013), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Registration of Consumer Organisations (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 4 of the Registration of Consumer Organisations Regulations, 2013 (1 of 2013) (hereinafter referred to as the "principal regulations"),-

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) A consumer organisation, fulfilling the eligibility criteria specified under regulation 5, shall be eligible for registration with the Authority.";

(b) after sub-regulation (1), the following sub-regulation (2) shall be inserted,-

"(2) A consumer organization may be registered by the Authority for one or more States and Union Territories and a consumer organization desirous of registering in more than one State or Union Territory shall submit separate Registration Form for different State or Union Territory.";

(c) the existing sub-regulation (2) shall be re-numbered as sub-regulation (3).

3. For regulation 5 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"**5. Eligibility criteria for registration of consumer organisations.—**

(1) A consumer organization shall be eligible for registration with the Authority if it is –

(a) involved in consumer education and protection of the interest of the consumers;

(b) a non-profit and non-political organisation;

(c) having, on the date of its application to the Authority, a minimum of three years of experience, after its registration as consumer organisation in –

(i) dealing with consumer complaints and redressal of consumer grievances regarding deficiency in services; and

(ii) advocating the cause of the consumers; and

(d) capable of interacting with the Authority through electronic media.

(2) The preference shall be given to the consumer organisations which are involved in conducting research or study or surveys on consumer issues and on matters relating to protection of the interest of the consumers of the telecommunication and broadcasting services."

4. In regulation 6 of the principal regulations, in clause (iii), after the words "Judicial Magistrate", the words and figures "in the format annex at Annexure-II to these regulations" shall be inserted.

5. For the Registration Form annexed to the principal regulations, the following Annexure-I containing the Registration Form shall be substituted, namely:-

"Annexure-I

REGISTRATION FORM
(see regulation 4)
Application for Registration of Consumer Organisation

1. Name and address of the consumer organisation: ______________________________
____

2. Fax and Telephone No.: ____

3. Email Id.: ______________________________

4. Website: ______________________________

5. Name of State/Union Territory for which application is being made;
____

6. Registration No. of consumer organisation.: ______________________________

7. Date of Registration.: ______________________________

8. Validity of registration.: ______________________________

9. State in which the consumer organisation is registered.: _ ______________________________

10. Details/designation of the registering Authority.: ______________________________

11. Name of Act under which registered.: ______________________________

(**Note:** Attach a legible copy of the registration certificate as consumer organisation duly attested by a Gazetted Officer or Judicial Magistrate.)

12. Primary objective of establishment of the consumer organisation as per its constitution/ Memorandum of Association.:
____
____
____

(**Note:** Attach a legible copy of the Memorandum of Association and bye-laws duly attested by a Gazette Officer or Judicial Magistrate.)

13. Whether the consumer organisation is a non-profit and non-political organisation?
____

(**Note:** Attach an affidavit in the format given at Annexure-II, duly authenticated by a Notary Public or Oath Commissioner or Judicial Magistrate certifying that the organisation is non-profit making and non-political organisation.)

14. Date of last Annual General Meeting and last elections to the Executive Committee.:
____

(**Note:** Attach a list of office bearers appointed, as per the Memorandum of Association and bye-laws, along with their names, designation, address, profession, the date from which the post is held in the consumer organisation and the term of office.)

15. Please indicate the total income during the previous two financial years, separately for each year.:______________________________
____

(**Note:** Attach copies of annual report, annual audited statement of accounts and a statement showing sources of funds during the previous two financial years duly authenticated by your authorized representative.)

16. Whether the consumer organisation was earlier registered with the Authority? If yes, indicate registration number and date of registration.: ______________________________
____

17. Whether the organisation is capable of interacting with the Authority through electronic media? (Please give details in this regard.): ______________________________
____

18. Organisational activities undertaken during the previous three years. Please tick on the items applicable to you:

(a) Consumer education and protection of the interest of the consumers **Yes/ No**

(b) Dealing with consumer complaints and redressal of consumer grievance regarding deficiency in services **Yes/ No**

(c) Advocating cause of the consumers **Yes/ No**

(d) research/surveys/study conducted on consumer issues **Yes/ No**

(e) study and research conducted on matters relating to protection of interest of the consumers of telecommunication services **Yes/ No**

(f) Handling of issues related to Telecom Consumers. **Yes/No**

(**Note:** Furnish details of the activities undertaken by the organisation on separate sheets. Enclose documents in support of work done to protect the interest of consumers which can include newspaper reports, photographs and reports on research or survey done for each State or Union Territory, as the case may be, separately.)

19. Whether documents against items at S. No. 11, 12, 13, 14, 15 and 18 are enclosed? ____________________

(**Note:** In case the original copy of the documents mentioned at S. No. 11, 12, 13, 14, 15 and 18 are not in English or Hindi, translated copies of such documents in English shall be submitted with an affidavit affirming that the translated version is true copy of the original document and such affidavit shall be duly authenticated by a Notary Public or Oath Commissioner or Judicial Magistrate.)

I declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge. I understand that if at any stage the information furnished above is found to be incorrect or false or that I do not satisfy the eligibility criteria as laid down by the Telecom Regulatory Authority of India, my application will be rejected, or the registration, if granted, shall stand cancelled. I will abide by the decision of the Authority on my application/registration. I have read and understood the provisions of the Registration of Consumer Organisations Regulations, 2013 (1 of 2013) and other guidelines, instructions, etc. issued by the Authority.

Signature and office seal of
the Authorized Office Bearer of the
consumer organisation.

Date: ____________ Name.: ________________

Place: ____________ Designation.: _________________”

6. After Annexure-I to the principal regulations, the following Annexure-II shall be inserted, namely:-

“**Annexure-II**

Affidavit of non-profit and non-political organisation

I, ______________ Son/Daughter of ______________, presently working as ______________(designation) in the ____________________(name of the consumer organisation having its office at _________________(address of organisation), do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the Authorized Signatory/ head of the consumer organisation.
2. That the applicant consumer organisation ____________________(Name of consumer organisation) is a non-profit and non-political organisation. The applicant organisations or its members do not have any political affiliation.
3. That the members or office bearers of the consumer organisation shall not campaign, utter any slogans, display flags of any political party while carrying out any consumer activities in the discharge of its obligations under the Registration of Consumer Organisations Regulations, 2013 (1 of 2013) (hereinafter referred to as the “regulations”), made by the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as “the Authority”) or while carrying out any other activities entrusted to the applicant organisation by the Authority under the regulations.
4. That I understand and aware of the fact that any failure by me to abide by the undertaking given hereunder will result in cancellation of registration as consumer organisation with the Authority.

Deponent

Verification

Verified at _______ (Place) on this __ day of ________________, 202_ that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Deponent”.

ATUL KUMAR CHAUDHARY, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./325/2024-25]

Note 1---- The principal regulations were published vide Notification No. 321-49/2012-CA&QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 21st February, 2013.

Note 2----The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Registration of Consumer Organisations (Amendment) Regulations, 2024 (5 of 2024).

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Telecom Regulatory Authority of India had notified the Registration of Consumer Organisations Regulations, 2013 (1 of 2013) [hereinafter referred to as the "principal regulations"] on 21st February 2013.

2. Presently, the Authority, under the principal regulations, are registering consumer organisations state-wise who can assist the Authority by performing the roles mentioned in the regulations.

3. Consumer organisations can play a supporting role in raising awareness about consumer protection measures to various sections of society including people in rural areas.

4. In order to best utilize the exposure and varied understanding of the different segments of the consumer organizations having presence in multiple states/UTs, the Authority felt a need to widen the scope of principal regulations by introducing registration at National Level. Draft amendment regulations were released on 14th September, 2023 for comments of the stakeholders. The comments received from the stakeholders have been examined.

5. Some stakeholders opposed the draft amendments apprehending that the amendments would result in a single benefit for few organizations and that the local consumer organizations were more effective. Some consumer organizations commented that defining jurisdictional criteria for consumer organizations is inappropriate and may lead to confusion and conflicts in various situations. In view of these comments, the Authority decided to replace the words "National Level" with "Multiple states/UTs" so that the existing registered organizations shall continue to work without feeling diminutive.

6. Some organisations suggested that the process of registration should be simple. Accordingly, the format for registration is simplified as Annexure-I. TRAI is also in the process of developing an online portal for ease of consumer organisations. One stakeholder felt that establishing predefined criteria for non-political organisation will mitigate conflicts. In this regard, Authority observed that presently the consumer organisations are submitting affidavits without any standard format. A predefined format will enable all consumer organisation who are applying for registration with the Authority, to provide a uniform affidavit to the Authority. Accordingly, format for affidavit on declaration as non-political/non-profit organisation has also been introduced.

7. One stakeholder suggested that the present eligibility conditions may be reviewed to avoid rigidity of complying all the conditions equally. In this regard it is observed that all conditions may not be crucial for compliance by all the applicant consumer organisations and some conditions may be kept as desirable conditions. Accordingly, the eligibility conditions have been modified.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA